न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/101

1. शम्भूदयाल आत्मज घनश्याम जाति गुंसाई निवासी भिण्डी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
2. दिनेश आत्मज घनश्याम जाति गुंसाई निवासी भिण्डी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मधु बाई पुत्री घनश्याम जाति गुंसाई निवासी भिण्डी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रूकमणी बाई पत्नी जाति गुंसाई निवासी भिण्डी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दयाराम आत्मज किशोर जाति मीणा निवासी खेडली मेहता तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र राज़स्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 21 (ज) के अन्तर्गत आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भिण्डी तहसील के0 पाटन में कुल 02 किता की रकबा 0.75 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का विरासतन कब्जा काश्त चला आ रहा

है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम गैरखातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का नाम गैर खातेदारी से विलोपित कर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करावे ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के आवंटन को निरस्त करते हुए उक्त भूमि से अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 का नाम गैर खातेदारी से विलोपित उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.05.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के आवंटन को निरस्त करते हुए उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लेने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण/आवंटी का आवंटन के समय से ही कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि उनके गैर खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्टगण के द्वारा आवंटन की किश्ते जमा करवायी गई है और शेष किश्तें जमा करवाने के लिए तत्पर है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सनुवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.07.2020 को अपीलान्ट द्वारा कम्प्यूटर पर ऑन लाईन नकल निकलवाई तब पता चला कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.07.2020 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त की और यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उनके द्वारा अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट रिकॉर्डेड गैर खातेदार दर्ज हैं और उस पर आवंटन के समय से ही उनका कब्जा है । अपीलान्ट शेष किश्तें जमा कराने को तैयार हैं । रेस्पोडेन्ट ने मिथ्या कब्जा रिपोर्ट बना कर आवंटन निरस्त करवाया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 21 (ज) के अनुसार आवंटन निरस्त करने के लिए

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को सन् 1977 में आवंटित हुई थी इस पर उनका कब्जा नहीं है । विरासतन रेस्पोडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है । गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण अपीलान्ट इस आराजी से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने पर आमादा हैं । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है और रेस्पोडेन्ट के परिवार का भरण–पोषण इस आराजी से होता है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार पर आवंटन को निरस्त किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2019 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज करने का कथन किया ।

12. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सिंचाई विभाग की रसीद संवत 2060 से 2075 की प्रति है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 की प्रमाणित प्रति हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड एवं सिंचाई विभाग की रसीद हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्व उपनिवेशन अधिनियम की धारा 21 (ज) के तहत आवंटन को निरस्त करने के लिए यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का पिछल 60–70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के खिलाफ दिनांक 19.09.2016 को और अप्रार्थी क्रम 05 के खिलाफ दिनांक 07.10.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई है और दिनांक 28.05.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए आवंटन खारिज किया गया है ।

15. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर साक्ष्य में मोहन लाल और लक्ष्मण के शपथ पत्र पेश किये गये है। परन्तु उन दोनों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रामनिवास के गैर खातेदारी में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 260 का नोट अंकित है जिसके अनुसार फ़ौती इंतकाल के आधार पर वादग्रस्त आराजी रामनिवास के स्थान पर अपीलान्टगण के खाते में दर्ज हुई है । कुछ रसीदों की प्रतियॉ भी पेश की गई हैं । रिपोर्ट

पटवारी हल्का भी संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि मौके पर दयाराम पुत्र किशोर का कब्जा है यह रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 की है और इसमें बिन्दु संख्या 05 में यह भी अंकित किया गया है कि मौके पर कब्जा सम्बन्धी विवाद है । नक्शा ट्रेस की प्रति और नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 एवं खसरा गिरदावरी पत्रावली पर संलग्न है ।

16. आवंटन पत्रावली जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है उसका भी अवलोकन किया गया । आवंटन आदेश दिनांक 06.10.1977 का है । दखलनामा भी दिनांक 16.10.1977 का है । आवंटन आदेश राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग रूल्स, 1973 के नियम 20 (ए) के तहत जारी किये गये हैं । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 21 (ज) में आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 21 इससे सम्बन्धित नहीं है वरन् राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट लैण्ड अलोटमेंट एण्ड सेल्स) नियम 1957 की धारा 21 (झ) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी स्टेज पर यह ज्ञात होता है कि क्लॉज – डी में जो घोषणा की गई है वह मिथ्या है एवं क्रेता आराजी को काश्त नहीं कर पाता है तो सरकार के द्वारा आराजी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है । इन्हीं रूल्स की धारा 22 में आवंटन निरस्तीकरण अधिकार आवंटन अधिकारी को उन परिस्थितियों में दिये गये हैं जब यह ज्ञात होता है कि मिथ्या कथन के आधार पर आवंटन किया गया है । इस प्रकरण में जो आवंटन पत्रावली है उसके अनुसार आवंटन इन नियमों में नहीं किया जाकर राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग रूल्स 1973 के नियम 20 (ए) के तहत किया गया है । ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम परीक्षण न्यायालय के स्तर पर निरस्तीकरण के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पैरा संख्या 16 में किये गये विवेचन के मध्य नजर क्षेत्राधिकार का निर्धारण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.11.2021 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा